

प्ररूप 21ख

[नियम 11 (1) देखिए]

(आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान निर्विरोध हो)  
लोक प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2) के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा ।

बिहार विधान सभा के सदस्यों द्वारा बिहार विधान परिषद् के लिए निर्वाचन ।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम-11 के उपनियम (1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2) से अन्तर्बिष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि-

श्री राधा मोहन शर्मा

गृह संख्या-25, ग्राम- पिंजौर,  
थाना-परस विगहा,  
अंचल+जिला- जहानाबाद

जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े  
किये गए हैं

उस सदन में डॉ० सूरज नन्दन प्रसाद की मृत्यु के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गये हैं ।

स्थान : बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना

तारीख : 31 मई, 2019

बटेश्वर नाथ पाण्डेय  
(बटेश्वर नाथ पाण्डेय)

रिटर्निंग ऑफिसर 31/5/2019

रिटर्निंग ऑफिसर

बिहार विधान परिषद् का उप निर्वाचन